

नेशनल मेगा लोक अदालत दिनांक 11.02.17 में प्रस्तुत।

फरियादी रामवीर सहित अधिवक्ता श्री लतीफ खॉन।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी रामवीर की ओर से दिनांक 09.02.17 को एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया था तथा आज लोक अदालत डॉकेट मय आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री लतीफ खॉन एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि0 की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

बेन  
नौकट्टिसि  
लोक अदालत  
मेगा  
मेगा



Date of  
Order or  
Proceeding


Order or proceeding with Signature of Presiding Officer


अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है।  
अभियुक्तगण को धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर  
उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा।  
अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।


प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

  
सदस्य  
विचारक कक्ष 248

  
सदस्य

  
उपस्थित अधिकारी  
यायिक माजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोबट जिला छिन्दवाड़ा